

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1 तथा 9)

राज्य प्रोफाइल					
क. सामान्य डाटा					
क्र. सं.	विवरण				आंकड़े
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या				
	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=29.50 प्रतिशत)				12.50 प्रतिशत
5	साक्षरता ¹ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)				75.55 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर ³ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 सजीव जन्म)				41
7	जन्म ⁴ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=67.5 वर्ष)				68.2 वर्ष
8	गिनी सहकारी कारण ⁵				
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)			0.30
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)			0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2014-15 ⁶				₹ 4,35,310 करोड़
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15)			हरियाणा	14.70 प्रतिशत
11				सामान्य श्रेणी राज्य	13.86 प्रतिशत
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14) ⁷			हरियाणा	16.83 प्रतिशत
13				सामान्य श्रेणी राज्य	15.44 प्रतिशत
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2005 से 2014)				16.32 प्रतिशत
15	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2005 से 2014)				12.76 प्रतिशत
ख	वित्तीय आंकड़े				
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)			
सी.ए.जी.आर		2005-06 से 2013-14		2005-06 से 2014-15	
		सामान्य श्रेणी राज्य ⁹	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.76	13.45	16.10	7.33
ख	स्वयं के कर राजस्व का	15.32	13.82	10.51	8.09
ग	कर - भिन्न राजस्व का	13.53	9.21	10.07	(-) 7.28
घ	कुल व्यय का	15.23	15.78	19.32	15.19
ड	पूंजीगत व्यय का	14.61	11.80	21.87	(-) 5.57
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	17.94	14.55	26.02
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	18.13	28.73	27.66
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	15.23	14.88	11.75	21.52
झ	पेंशन का	18.70	19.05	12.43	10.39

¹ जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

² निर्धनता के माप के लिए पद्धति आयोजना आयोग (जून 2014) कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ दल (रंगराजन) की रिपोर्ट।

³ सितंबर 2014 की सैपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बुलेटिन (भारत के महारजिस्ट्रार)।

⁴ भारत का आर्थिक सर्वे 2014-15 तालिका 9.1

⁵ 2009-10 के लिए योजना आयोग डाटा।

⁶ सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय हरियाणा।

⁷ सी.एस.ओ. (एच.टी.टी.पी./एस.ओ. एस.पी.आई. निक.इन/मोसपी - न्यू/साईट/ईनर एस. पी. एक्स? एम.टी. यू.एस. - 3 एंड मैनु - आई.डी.=82)।

⁸ भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2006 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी गुप की रिपोर्ट।

⁹ पुदुचेरी को छोड़कर 18 सामान्य श्रेणी राज्यों पर आधारित जैसे 1) तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश 2) बिहार, 3) छत्तीसगढ़, 4) गोआ, 5) गुजरात, 6) हरियाणा, 7) झारखण्ड, 8) कर्नाटक, 9) केरल, 10) मध्य प्रदेश, 11) महाराष्ट्र, 12) उड़ीसा, 13) पंजाब, 14) राजस्थान, 15) तमिलनाडु, 16) उत्तर प्रदेश, 17) पश्चिम बंगाल, 18) दिल्ली।

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, ब्रॉडस, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टर में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टर में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट कर के की जाती है। 2014-15 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष है फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छ: सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास

विवरण	विन्यास
	वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-II में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरण सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-2 में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 5	प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	सरकार के निवेशों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-19 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-20 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरणी सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।
खंड-II में दो भाग शामिल हैं- भाग I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
खंड-II का भाग-I	
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरण	विन्यास
विवरण सं. 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-1 में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरण सं. 16	लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग-1 में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरण सं. 17	उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-1 में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्केट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठाए गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरण सं. 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा इक्विटी-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरण सं. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरण सं. 22	चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
खंड-II भाग-III में मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल है। ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'सूचकांक' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि सरा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सरा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग सरा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु सरा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सरा.घ.उ.) में प्रवाह

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
सरा.घ.उ. की वृद्धि दर	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/सरा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})2]*100$
ब्याज फैलाव	सरा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेतर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 7)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग - क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	25,564	30,558	33,634	38,012	40,799
(i) कर राजस्व	16,790 (66)	20,399(67)	23,559(70)	25,567(67)	27,635(67)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)	16,774(66)	18,993(69)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)	3,697(14)	3,470(13)
वाहनों पर कर	457 (3)	740(4)	887(4)	1,095(4)	1,192(4)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	2,319 (14)	2,793(14)	3,326(14)	3,203(13)	3,109(11)
भू-राजस्व	10	11	13	12	15
माल एवं यात्रियों पर कर	387 (2)	429(2)	471(2)	498(2)	527(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	130 (1)	166	192(1)	219(1)	240(1)
अन्य कर	39	44	57	69	89
(ii) कर-भिन्न राजस्व	3,421 (13)	4,722(15)	4,673(14)	4,975(13)	4,613(13)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	2302 (9)	2,682(9)	3,062(9)	3,343(9)	3,548(9)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,051 (12)	2,755(9)	2,340(7)	4,127(11)	5,003(13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	8	9	11	10	19
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	233	294	349	262	273
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	25,805	30,861	33,994	38,284	41,091
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,843	10,767	15,213	17,604	18,859
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)	18,728(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	308 (3)	98(1)	51	341(2)	131(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	35,648	41,628	49,207	55,888	59,950
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	193	168	-	-	-
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	16,595	19,260	22,709	26,548	28,064
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	52,436	61,056	71,916	82,436	88,014
भाग - ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	28,310	32,015	38,072	41,887	49,118
योजनागत	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)	12,760(26)
योजनेतर	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)	36,358(74)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)	16,765(34)
आर्थिक सेवाएं	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)	13,088(27)
सामाजिक सेवाएं	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)	19,120(39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	81 (-)	99	102	136(1)	145
11. पूंजीगत व्यय	4,031	5,372	5,762	3,935	3,716
योजनागत	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)	4,837(130)
योजनेतर	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)	(-1,132 (-29))	(-1,121 (-30))
सामान्य सेवाएं	199 (5)	235 (5)	251(4)	282(7)	291(8)
आर्थिक सेवाएं	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)	1,527(41)
सामाजिक सेवाएं	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)	1,898(51)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	722	627	522	776	843
13. कुल (10+11+12)	33,063	38,014	44,356	46,598	53,677
14. लोक ऋण के पुनर्भूगतान	3,971	4,037	5,951	7,968	8,227
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)	8,073(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	125 (3)	225 (6)	126(2)	168(2)	154(2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	190	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	37,224	42,051	50,307	54,566	61,904
17. आकस्मिक निधि संवितरण	3	168	-	-	-
18. लोक लेखे संवितरण	15,324	17,051	21,074	24,560	25,609
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	52,551	59,270	71,381	79,126	87,513
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(-2,746)	(-1,457)	(-4,438)	(-3,875)	(-8,319)
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-7,258)	(-7,153)	(-10,362)	(-8,314)	(-12,586)
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-3,939)	(-3,152)	(-5,618)	(-2,464)	(-5,658)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग - घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,319	4,001	4,744	5,850	6,928
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,223	3,306	4,648	4,540	6,106
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	670(8)	974(11)	347(12)	109 (4)	-
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	1.16	1.51	0.78	0.03	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹⁰	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	46,282	54,540	64,818	76,263	88,446
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	4,528	5,608	21,124	27,309	30,389
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	21	8	14	40	14
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी (₹ करोड़ में)	41	186	48	398	62.19
भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.064	0.068	0.069	0.066	0.063
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.013	0.016	0.014	0.013	0.011
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.127	0.127	0.130	0.120	0.123
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.293	1.244	1.319	1.226	1.316
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.856	0.842	0.858	0.899	0.915
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.367	0.368	0.360	0.370	0.392
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.321	0.337	0.352	0.313	0.272
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.122	0.141	0.130	0.084	0.069
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.116	0.135	0.124	0.078	0.064
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.011	(-)0.005	(-)0.013	(-)0.010	(-) 0.019
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.028	(-)0.024	(-)0.030	(-)0.021	(-) 0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.015	(-)0.011	(-)0.016	(-)0.006	(-) 0.013
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.378	0.204	0.428	0.466	0.661
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-)0.021	(-)0.013	(-)0.017	(-)0.017	(-) 0.025
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.178	0.183	0.190	0.196	0.203
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.810	1.785	1.927	2.006	2.168
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 0.457	(-) 0.730	(-) 2.044	(-) 1.163	(-) 2.853
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.831	0.810	0.806	0.834	0.864
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	2.48	1.64	7.05	6.49	5.80
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2325	4977	3741	4406	1161
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.77	0.78	0.75	0.74	0.68

परिशिष्ट 1.5 भाग - क
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)
वर्ष 2014 - 15 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां		संवितरण				
	2013-14		2014-15	2013-14	2014-15		
					नॉन - प्लान	प्लान	कुल
भाग क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	38,012.08		40,798.66	41,887.10			49,117.87
कर राजस्व	25,566.60	27,634.57		13,597.31	16,658.80	105.93	16,764.73
कर भिन्न राजस्व	4,975.06	4,613.12		15,413.41	9,199.59	9,920.97	19,120.56
संधीय करो का राज्य का हिस्सा	3,343.24	3,548.09		7,373.50	5,860.95	3,432.23	9,293.18
नॉन प्लान अनुदान	2,256.17	1,723.20		1,702.64	936.80	1,237.06	2,173.86
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	856.66	2,815.36		2,880.19	1,419.28	1,601.84	3,021.12
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	1,014.35	464.32		94.38	40.48	60.85	101.33
				321.82	138.40	131.60	270.00
				237.71	177.16	112.55	289.71
				2,797.06	619.96	3,344.84	3,964.80
				6.11	6.56	--	6.56
				12,740.20	10,354.53	2,733.47	13,088.00
				1,846.45	1,018.71	993.21	2,011.92
				1,727.40	570.09	1,273.35	1,843.44
				1,161.83	944.66	214.48	1,159.14
				5,212.05	5,241.85	2.82	5,244.67
				97.07	37.38	108.30	145.68
				2,380.01	2,492.36	74.65	2,567.01
				29.75	7.82	13.83	21.65
				285.64	41.66	52.83	94.49
				136.18	144.59	--	144.59
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	3,875.02		8,319.21				
योग भाग क	41,887.10		49,117.87	41,887.10	36,357.52	12,760.35	49,117.87
भाग ख - अन्य							
III. स्थायी अगिमें एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	2,697.11	6,007.18					
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74		3,934.60	(-) 1,121.09	4,836.62	3,715.53
				282.16	--	290.70	290.70
				1,823.95	--	1,897.56	1,897.56
				158.99	-	186.06	186.06
				49.83	-	64.87	64.87
				1,500.63	-	1,418.25	1,418.25
				1.25	-	1.25	1.25
				1.93	-	56.84	56.84
				111.32	-	170.29	170.29

प्राप्तियां			संवितरण					
	2013-14	2014-15		2013-14	2014-15			
					नॉन - प्लान	प्लान	कुल	
				आर्थिक सेवाएं	1,828.49	(-1,121.09)	2,648.36	1,527.27
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	(-1,075.70)	(-1,121.43)	68.40	(-) 1,053.03
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	908.29	-	965.33	965.33
				ऊर्जा	100.08	-	66.94	66.94
				उद्योग एवं स्वनिज	6.05	-	1.22	1.22
				परिवहन	1,869.48	0.34	1,516.96	1,516.96
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.29	-	29.51	29.51
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	261.85	272.82	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	775.61	296.29	546.58	842.87	
बिजली परियोजनाओं से	7.94	25.95	बिजली परियोजनाओं हेतु	290.88	-	118.11	118.11	
सरकारी कर्मचारियों से	207.89	217.65	सरकारी कर्मचारियों को	282.26	296.29	-	296.29	
अन्यों से	46.02	29.22	अन्यों को	202.47	-	428.47	428.47	
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-	-	VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	3,875.02			8,319.21	
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	17,604.16	18,858.75	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,968.47			8,227.41	
बाह्य ऋण			बाह्य ऋण					
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	17,262.69	18,727.99	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	7,800.08	8,073.67			
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	-	--	अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	--	--			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	341.47	130.76	केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	168.39	153.74			
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-			
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	-	-			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	26,548.06	28,064.30	X. लोक लेखा संवितरण	24,560.19			25,609.25	
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,498.81	2,747.69	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,777.82	1,706.44			
आरक्षण निधियां	511.50	1,257.10	आरक्षण निधियां	60.20	247.79			
उचन्त एवं विविध	371.03	453.48	उचन्त एवं विविध	641.64	506.32			
प्रेषण	7,521.22	6,514.21	प्रेषण	7,521.46	6,528.10			
निक्षेप एवं अग्रिम	15,645.50	17,091.82	डिपोजिट्स एवं अग्रिम	14,559.07	16,620.40			
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट			XI. समाप्ति पर नकद शेष	6,007.18			6,507.52	
			कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54			
			रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-) 652.85	75.53			
			स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	(-) 1.33	3.18			
			नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	6,660.82	6,428.27			
योग भाग - स्व	47,121.07	53,221.79	योग	47,121.07			53,221.79	

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 30)
31 मार्च 2015 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2014 को	देयताएं	31 मार्च 2015 को
58,143.15	आन्तरिक ऋण	68,797.47
	40,277.53 ब्याज युक्त बाजार ऋण	52,650.52
	2.31 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.31
	2.48 जीवन बीमा निगम से ऋण	1.41
	6,329.11 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	3,904.06
	11,531.72 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	12,239.17
2,150.81	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,127.83
	1984 - 85 से पूर्व के ऋण	
	48.98 योजनेतर ऋण	47.16
	2,095.50 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	2,074.33
	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	-
	6.33 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	6.34
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
10,116.63	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	11,157.68
5,574.98	डिपोजिटस	6,046.33
3,164.21	आरक्षण निधियां	4,173.52
--	उचंत तथा विविध शेष	--
157.23	प्रेषण शेष	143.34
79,507.01		92,646.17
31 मार्च 2014 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2015 को
48,448.90	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	
	7,378.87 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	7,500.22
	41,070.03 अन्य पूंजीगत परिव्यय	44,645.46
4,002.24	ऋण एवं अग्रिम	
	933.46 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	1,025.62
	2,328.62 अन्य विकास ऋण	2,727.87
	740.16 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	818.80
0.78	अग्रिम	0.71
141.14	उचन्त एवं विविध शेष	193.99
-	प्रेषण शेष	
6,007.18	नकद	6,507.52
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-) 652.85 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	75.53
	(-) 1.44 विभागीय नकद शेष	3.07
	0.11 स्थायी अग्रिम	0.11
	3,774.41 नकद शेष निवेश	2,571.52
	2,886.41 आरक्षण निधि निवेश	3,856.75
20,906.77	सरकारी लेखाओं पर घाटा	
	3,875.02 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	8,319.21
	17,031.75 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	20,906.77
79,507.01	कुल	92,646.17

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में ह्रास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा “भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2015 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 24.51 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2015)।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण	रा.सु.प. में प्रक्षेपण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
स्वयं का कर राजस्व	30,506.85	32,205	30,374.75
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	18,830.33	5,330	5,866.57
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	49,337.18	37,535	36,241.32
योजनेतर राजस्व व्यय	24,102.58	35,210	36,777.53
योजनागत राजस्व व्यय		9,230	15,925.18
वेतन	8147.81	12,310	14,736.52
ब्याज भुगतान	6113.37	5,800	7,138.89
पेंशन	2839.36	4,570	4,500.00
सबसिडी - विद्युत		4,420	4,495.28
राजस्व घाटा	शून्य	(-) 495	5,012.57
राजकोषीय घाटा	स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत	(-) 8,323	स.रा.घ.उ. का 2.54 प्रतिशत
बकाया ऋण	स.रा.घ.उ. का 22.9 प्रतिशत	75,555	स.रा.घ.उ. का 18.24 प्रतिशत
देयताएं			81,805.84

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 27)

अंततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2014-15 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	24.02	9.26	2010-11
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड	10.89	352.89	2013-14
3.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	185.74	25.28	2012-13
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,745.24	438.45	2013-14
5.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	948.67	13,893.80	2013-14
6.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	865.74	10,726.59	2013-14
7.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	160.60	2013-14
8.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	11.76	2011-12
9.	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.07	2013-14
10.	हरियाणा मांस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	0.51	0.15	2013-14
कुल		4,983.04	25,618.85	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 27)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तिय ि	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/ हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9 +10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87 ¹¹	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	सुदृढ एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2013-14	6,332.83	5,886.37	-	-	6,494.56	161.73	386.35	548.08	9.31
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़	2009-10	678.74	643.37	635.67	(-) 1.59 ¹²	668.06	(-) 288.83	50.82	(-) 238.01	-
कुल			7,030.36	6,553.01	635.76	(-) 1.58	7,171.56	(-) 125.24	438.60	313.36	31.73

¹¹ ये स्कीमें 1986-87 के बाद सहकारी समितियों को अंतरित की गई।

¹² नेगेटिव आंकड़े, वर्ष 2009-10 में हास आरक्षण निधि में कमी के कारण हैं।

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 27)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	राई मलिकपुर का विकास (राजस्थान सीमा) - हरियाणा राज्य में नारनौल - महेन्द्रगढ़ - दादरी - भिवानी - खरक गलियारा	लो.नि.वि. (भ. व स.)	1201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	राज्य सरकार ने इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2015)। अतः, डी.बी.एफ.ओ.टी. के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु प्रस्ताव को स्थगित रखा गया है।
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	4000.00	बी.ओ.टी.	14 नवंबर 2005	रियायत अनुबंध निरस्त किया गया है। मानेसर - पलवल सैक्शन का कार्य आईटम रेट मोड पर अबतक किया गया जोकि जनवरी 2016 तक पूरा किया जाएगा तथा कुण्डली - मानेसर सैक्शन जून 2018 तक पूरा किया जाएगा।
3.	मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	कंपनी ने हानियों के कारण होटल ब्लॉक को बेचने की अनुमति मांगी। शेष वाणिज्यिक क्षेत्र अब तक आपरेशनल नहीं है।
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुडगांव	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	सरकार ने भूमि अधिग्रहण की लागत के रूप में रिलायंस को ₹ 349.39 करोड़ वापस किए थे।
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	
6.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली - सोनीपत	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	परियोजना स्थगित रखी गई है।
7.	पेट्रोकेमिकल हब, पानीपत	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	परियोजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. स्वयं परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा था।
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्टूबर 2006	परियोजना रद्द की गई तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचना दी गई।
9.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्टूबर 2006	परियोजना रद्द की गई तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचना दी गई।
10.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से सैक्टर - 56, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	2143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
11.	बदरपुर से फरीदाबाद मेट्रो	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	2494.00		24 मार्च 2012	परियोजना को जून/जुलाई 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
12.	मुंडका से बहादुरगढ़ मेट्रो	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	787.96		02 फरवरी 2013	परियोजना को दिसंबर 2016 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
13.	वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़ मेट्रो	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	715.00		20 फरवरी 2014	परियोजना को दिसंबर 2017 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
14.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में आपरेशनल नहीं हैं। विकल्पी माडलज का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण कर रहा है तथा नया मॉडल बनाएगा।
15.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	19 नवंबर 2009	नवंबर 2014 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2015 को प्रगति पर।
16.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	25 नवंबर 2009	नवंबर 2014 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2015 को प्रगति पर।
17.	213 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	03 मार्च 2010	सितंबर 2015 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
कुल			58,821.70			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्षण
राजस्व (दत्तमत)							
1	6 - वित्त	4,565.51	299.82	4,865.33	4,654.48	210.85	210.73
2	7 - आयोजना तथा सांख्यिकी	409.04	0.36	409.40	75.82	333.58	329.29
3	9 - शिक्षा	9,459.11	654.62	10,113.73	8,744.23	1,369.50	1,372.37
4	10 - तकनीकी शिक्षा	491.20	-	491.20	354.12	137.08	130.30
5	13 - स्वास्थ्य	2,699.87	50.00	2,749.87	2,173.69	576.18	579.50
6	15 - स्थानीय सरकार	2,070.98	50.00	2,120.98	1,536.98	584.00	422.07
7	20 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,909.22	249.20	3,158.42	2,878.66	279.76	279.85
8	21 - महिला एवं बाल विकास	886.10	6.80	892.91	697.83	195.08	195.26
9	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	366.66	-	366.66	200.24	166.42	166.43
10	24 - सिंचाई	1,621.54	3.95	1,625.49	1,113.49	512.00	222.76
11	27 - कृषि	1,254.54	21.60	1,276.14	802.40	473.74	455.65
12	32 - ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,503.01	55.87	2,558.87	1,977.92	580.95	520.46
13	34 - परिवहन	1,878.38	30.20	1,908.58	1,791.66	116.92	112.25
14	38 - जन - स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1,427.29	48.40	1,475.69	1,360.20	115.49	83.42
15	40 - ऊर्जा और विद्युत	4,533.76	843.22	5,376.98	5,256.49	120.49	120.43
कुल		37,076.21	2,314.04	39,390.25	33,618.21	5,772.04	5,200.77
राजस्व (भारत)							
16	6 - वित्त	7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16
कुल		7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
पूँजीगत (दत्तमत)							
17	8 - भवन एवं सड़क	2,073.62	221.33	2,294.96	1,845.35	449.61	450.98
18	14 - शहरी विकास	800.00	--	800.00	427.77	372.23	376.98
19	21 - महिला एवं बाल विकास	170.49	50.10	220.59	56.62	163.97	163.97
20	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	8,806.61	--	8,806.61	5,542.49	3,264.12	3,264.12
21	38 - जन - स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1,000.20	106.50	1,106.70	959.96	146.74	153.54
22	40 - ऊर्जा और विद्युत	500.00	-	500.00	66.94	433.06	433.06
23	45 - ऋण एवं अग्रिम	1,001.41	--	1,001.41	842.87	158.54	158.92
कुल		14,352.33	377.93	14,730.27	9,742.00	4,988.27	5,001.57
पूँजीगत (भारित)							
24	लोक ऋण	13,849.85	-	13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
कुल		13,849.85	-	13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
कुल योग		72,883.71	3,635.28	76,519.00	59,169.39	17,349.61	16,006.43

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 42)

2014-15 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
1.	24 - सिंचाई	0.19	01-बहुउद्देश्य नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 93-मुख्य अभियंता
2.	2700 - मुख्य सिंचाई	129.10	02-पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक), 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज
3.		2.23	02-पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
4.		48.94	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-निष्पादन सिंचाई
5.		4.06	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 98-पर्यवेक्षण सिंचाई
6.		3.98	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 95-विशेष राजस्व प्रभार
7.		1.72	18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
8.		2.00	05-जवाहरलाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
9.		0.24	05-जवाहरलाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
10.		1.39	04-लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
11.		0.29	24-जल क्षेत्र प्रबंधन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
12.		24 - सिंचाई 4701-मध्यम	116.44
13.	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	17.62	07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
14.		8.02	07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
15.		6.58	07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
16.		0.23	07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार
17.		36.70	06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
18.		5.55	06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
19.		2.53	06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
20.	24 - सिंचाई 4701 - मध्यम	2.07	06 - जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
21.	सिंचाई पर पूँजीगत	5.92	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
22.	परिव्यय	0.90	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
23.		0.41	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
24.		0.33	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
25.		6.88	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
26.		1.04	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
27.		0.47	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
28.		0.39	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
29.		0.98	19 - कौशल्या डैम, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
30.	24 - सिंचाई	72.35	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 97 - निष्पादन
31.	4711 - बाढ़	7.19	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन तथा प्रशासन, 95 - विशेष राजस्व
32.	नियंत्रण	4.80	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 99 - मुख्य अभियंता
33.	परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.53	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 98 - अधीक्षण अभियंता
34.	24 - सिंचाई 4700 - मुख्य	64.24	16 - विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
35.	सिंचाई पर पूँजीगत	7.84	16 - विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
36.	परिव्यय	3.96	16 - विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
37.		3.04	16 - विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
38.		19.69	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
39.		2.40	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
40.		1.21	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
41.		0.93	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
42.		5.19	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
43.		0.63	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
44.		0.32	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
45.		0.25	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
46.		3.71	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
47.		0.45	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
48.		0.23	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
49.		0.18	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
50.	लोक ऋण	228.74	6003 - राज्य सरकार के आंतरिक ऋण। 109 - अन्य संस्थाओं से ऋण। 97 - सड़कों (भवन एवं सड़क) के उन्नयन के लिए एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण।
	कुल	838.08	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 43)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों में से बचतें
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-विधानसभा	63.66	10.88	61.55	12.99
2	3-सामान्य प्रशासन	169.64	8.77	164.63	13.78
3	5-आबकारी एवं कराधान	181.76	1.05	153.41	29.40
4	9- शिक्षा	9,459.11	654.62	8,744.23	1,369.49
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	183.28	48.40	172.85	58.82
6	13-स्वास्थ्य	2,699.87	50.00	2,173.69	576.18
7	15-स्थानीय शासन	2,070.98	50.00	1,536.98	584.00
8	16- श्रम	36.74	3.63	34.87	5.49
9	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	208.45	15.97	200.42	24.00
10	20- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,909.22	249.20	2,878.66	279.76
11	21-महिला एवं बाल विकास	886.10	6.80	697.83	195.08
12	24- सिंचाई	1,621.54	3.95	1,113.49	512.00
13	26- खदान एवं भू- विज्ञान	10.31	0.78	9.11	1.98
14	27-कृषि	1,254.54	21.60	802.40	473.74
15	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,503.01	55.87	1,977.92	580.96
16	33- सहकारिता	246.59	9.30	240.03	15.86
17	34- परिवहन	1,878.38	30.20	1,791.66	116.92
18	38-जन- स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,427.29	48.40	1,360.20	115.49
19	41-इलेक्ट्रोनिक्स एवं आई.टी.	26.67	10.87	23.71	13.83
20	44-मुद्रण एवं लेखन- सामग्री	35.70	1.50	33.23	3.97
उप-योग		27,872.84	1,281.79	24,170.87	4,983.74
राजस्व (भारित)					
21	6-राजस्व	7,605.32	943.31	7,581.77	966.86
22	36- गृह	2.80	1.00	2.31	1.49
उप-योग		7,608.12	944.31	7,584.08	968.35
पूँजीगत (दत्तमत)					
23	8-भवन एवं सड़क	2,073.62	221.33	1,845.35	449.61
24	13- स्वास्थ्य	75.00	40.00	36.25	78.75
25	21 महिला एवं बाल विकास	170.48	50.11	56.62	163.97
26	34- परिवहन	196.20	1.00	168.07	29.13
27	36- गृह	124.00	15.00	120.16	18.84
28	38-जन- स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,000.20	106.50	959.96	146.74
उप-योग		3,639.50	433.94	3,186.41	887.04
कुल योग		39,120.46	2,660.04	34,941.36	6,839.13

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 43)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1	01	विधान सभा	2011-संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02-स्टेट/यू.टी. विधायिका 103-विधानसभा सचिवालय 98-मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव	(ओ) 21.65 (एस) 8.38 (आर) (-) 9.46 20.57	18.79	(-) 1.78
2	03	सामान्य प्रशासन	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003-प्रशिक्षण 98-हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान 98-स्थापना व्यय	(ओ) 8.34 (आर) 0.50 8.84	6.75	(-)2.09
3	04	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा अनुक्रिया फंड 101-राज्य आपदा अनुक्रिया फंड 99-राज्य अंशदान	(ओ)234.48 (एस)108.00 (आर) (-)131.11 211.37	216.37	(+)5.00
4			2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02-बाढ़, तूफान आदि 101-आनुग्रहिक राहत 97-बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 65.00 (आर) (-)23.45 41.55	51.55	(+) 10.00
5			2030-स्टॉम्पस एवं पंजीकरण 102-स्टॉम्पस की बिक्री पर व्यय 99-चैकिंग स्टाफ	(ओ) 4.00 (आर) 1.29 5.29	1.77	(-)3.52
6			3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं 091-संबद्ध कार्यालय 99-राजस्व विभाग	(ओ)6.02 (आर) (-)5.57 0.45	4.78	(+) 4.33
7			2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 01-सूखा 101-आनुग्रहिक राहत 98-बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 9.00 (आर) (-)9.00	84.64	(+)84.64
8			2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि राहत/शीत लहर/पाला राहत	(ओ)64.39 (आर) (-)16.20 48.19	109.17	(+)60.98
9			2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02-बाढ़, तूफान आदि 101-आनुग्रहिक राहत 99-भोजन एवं वस्त्र	(ओ) 2.50 (आर) (-)2.50	31.01	(+)31.01
10			2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02-बाढ़, तूफान आदि 800-अन्य व्यय	(ओ)3.85 (आर) (-)3.85	18.53	(+)18.53
11			2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 122-क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार	(ओ)5.00 (आर) (-)5.00	11.81	(+)11.81

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
12	6	वित्त	2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 200- अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज 92- एन.सी.आर.पी.बी. से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 224.26 (आर) (-) 34.99 189.27	142.35	(-)46.92
13			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 101- बाजार ऋणों पर ब्याज 99- ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 3,344.40 (एस) 31.86 (आर) 447.62 3,823.88	3,653.11	(-)170.77
14			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 123- राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93- लघु बचत संग्रहण पर ब्याज	(ओ) 1001.63 (आर) 16.48 1018.11	1122.61	(+)104.50
15			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 305- ऋण का प्रबंधन 99- नए ऋणों आदि के निर्गम पर व्यय	(ओ) 2.00 (आर) 2.00 4.00	13.78	(+)9.78
16			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 91- 8.5% राज्य सरकार के कर मुक्त स्पेशल बांड्स (पावर बांड्स)	(ओ) 31.19 (आर) (-) 27.75 3.44	38.68	(+)35.24
17	07	आयोजना एवं सार्विकी	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 102- जिला आयोजना मशीनरी 95- जिला योजना	(ओ) 235.00 (आर) (-) 201.93 33.07	29.44	(-) 3.63
18	8	भवन एवं सड़कें	2059- लोक निर्माण 80- सामान्य 052- मशीनरी तथा उपकरण 96- मशीनरी	(ओ) 6.25 (आर) 0.39 6.64	4.66	(-) 1.98
19			3054- सड़क एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क निर्माण 98- ग्रामीण सड़क	(ओ) 431.46 (आर) 36.13 467.59	472.21	(+)4.62
20			3054- सड़क एवं पुल 80- सामान्य 797- रिजर्व फंड्स/डिपोजिट अकाउंट्स से/को अन्तरण 99- सी.आर.एफ. से अन्तरण - अन्तर्लेखा अंतरण	(ओ) 67.00 (आर) 8.19 75.19	73.73	(-)1.46
21			4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01- सरकारी आवासीय भवन 106- सामान्य पूल आवास 99- न्याय प्रशासन	(ओ) 10.00 (आर) 5.51 15.51	14.34	(-) 1.17
22	9	शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 01- सामान्य शिक्षा 101- सरकारी प्राथमिक स्कूल 98- मिडल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII 98- स्थापना व्यय	(ओ) 2118.73 (आर) (-) 189.17 1929.56	1932.44	(+) 2.88

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
23	10	तकनीकी शिक्षा	2203- तकनीकी शिक्षा 105- बहुतकनीकी 54- एकीकृत कौशल विकास स्कीमें (आई.एस.डी.एस.)	(ओ) - (एस) 0.00 (आर) 9.31 9.31	2.33	(-) 6.98
24	14	शहरी विकास	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास स्कीम 051- निर्माण 97- जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 350.00 (आर) (-) 107.14 242.86	247.61	(+) 4.75
25	15	स्थानीय शासन	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता 96- नगर निगम को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 400.00 (आर) (-) 10.47 389.53	289.16	(-) 100.37
26			2217- शहरी विकास 80- सामान्य 192- नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता 92- नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 200.00 (आर) (-) 19.75 180.25	118.69	(-) 61.56
27	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय 93- मेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	(ओ) 25.00 (एस) 40.39 (आर) (-) 0.35 65.04	59.01	(-) 6.03
28			2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण 277- शिक्षा 93- पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप	(ओ) 12.36 (आर) (-) 6.79 5.57	4.11	(-) 1.46
29	24	सिंचाई	2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 366.95 (आर) (-) 51.07 315.88	33.61	(-) 282.27
30			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 89- विशेष राजस्व	(ओ) 43.79 (आर) (-) 7.99 35.80	4.05	(-) 31.75
31			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 26.30 (आर) (-) 7.30 19.00	1.64	(-) 17.36

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
32			2700- मुख्य सिंचाई 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 35.00 (आर) (-) 9.97 25.03	26.09	(+) 1.06
33			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 73.64 (आर) (+) 1.37 75.01	3.52	(-) 71.49
34			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 89- विशेष राजस्व	(ओ) 21.43 (आर) (-) 3.32 18.11	0.61	(-) 17.50
35			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 2.81 (आर) (-) 0.35 2.47	0.15	(-) 2.32
36			2700- मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 35.63 (आर) (-) 5.42 30.21	6.26	(-) 23.95
37			2700- मुख्य सिंचाई 800- अन्य व्यय 98- सुधार उन्नयन/परिचालन एवं अनुरक्षण	(ओ) 45.00 (आर) (-) 5.50 39.50	35.08	(-) 4.42
38			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 47.09 (आर) (-) 3.63 43.46	13.86	(-) 29.60
39			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.66 (आर) (-) 1.40 3.26	0.64	(-) 2.62
40			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 3.25 (आर) (-) 0.16 3.09	0.82	(-) 2.27
41			2705- कमांड क्षेत्र विकास 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 95- कैनल क्षेत्र (50% आधार) के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.)	(ओ) 131.35 (एस) 3.95 (आर) (-) 53.26 82.04	78.09	(-) 3.95
42			2701- मध्यम सिंचाई 10- सिवानी लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 22.00 (आर) (-) 7.00 15.00	13.78	(-) 1.22
43			2700- मुख्य सिंचाई 01- लोहारू कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 28.00 (आर) (-) 2.00 26.00	28.39	(+) 2.39

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
44			2700- मुख्य सिंचाई 02- जवाहर लाल नेहरू कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 130.00 (आर) 5.00 135.00	130.00	(-) 5.00
45			2701- मध्यम सिंचाई 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800- अन्य व्यय 99- ब्याज	(ओ) 132.34 (आर) (-) 7.00 125.34	132.34	(+) 7.00
46			2701- मध्यम सिंचाई 14- जल स्रोत समेकित परियोजना 800- अन्य व्यय 99- ब्याज	(ओ) 43.31 (आर) (-) 2.17 41.14	43.31	(+) 2.17
47			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800- अन्य व्यय 98- कैनल का नाबार्ड निर्माण	(ओ) 80.50 (आर) 7.00 87.50	146.56	(+) 59.06
48			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय 98- कैनल की नई माईनर कंस्ट्रक्शन	(ओ) 20.00 (आर) (-) 1.99 18.01	38.13	(+) 20.12
49			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- कैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 800- अन्य व्यय 97- बी.एम.एल. हांसी ब्रांच- बुटाना ब्रांच मल्टीपरपज लिंक चैनल	(ओ) 1.00 (आर) (-) 0.06 0.94	6.00	(+) 5.06
50			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार	(ओ) 69.50 (आर) 6.10 75.60	32.43	(-) 43.17
51			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- कैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान 99- पुनरूद्धार कैनल नेटवर्क - राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के पुनरूद्धार में सुधार	(ओ) 30.00 (आर) (-) 0.05 29.95	4.31	(-) 25.64
52			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- कैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 800- अन्य व्यय 98- पुनरूद्धार कैनल नेटवर्क - कैनल का निर्माण	(ओ) 40.75 (आर) 4.51 45.26	18.48	(-) 26.78

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
53	27		4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 14- दादपुर नलवी सिंचाई परियोजना 789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में मीठे पानी में दादपुर नलवी रिचार्ज ग्राऊंड वाटर	(ओ) 2.50 (आर) (-) 1.33 1.17	--	(-) 1.17
54			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 14- दादपुर नलवी सिंचाई परियोजना 800- अन्य व्यय 98- दादपुर नलवी - कौनाल का निर्माण	(ओ) 4.00 (आर) (-) 0.97 3.03	4.29	(+) 1.26
55			2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01- फसल पालन 277- शिक्षा 99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	(ओ) 124.97 (आर) (-) 28.79 96.18	78.73	(-) 17.45
56	28	पशुपालन एवं डेयरी विकास	2403- पशुपालन 102- पशु एवं भैंस विकास 95- अंबाला, भिवानी, जींद, पेहोवा तथा सिरसा में गहन पशु विकास परियोजनाओं के स्थापन की स्कीम	(ओ) 40.21 (आर) (-) 1.67 38.53	36.64	(-) 1.89
57	2403- पशुपालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 94- नई पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलना		(ओ) 31.47 (आर) (-) 4.48 26.99	32.49	(+) 5.51	
58	2403- पशुपालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 95- पशु चिकित्सा अस्पताल तथा डिस्पेंसरियों की निरंतरता		(ओ) 70.54 (आर) (-) 3.84 66.70	68.46	(+) 1.76	
59	34	परिवहन	3055- सड़क परिवहन 201- हरियाणा रोडवेज 98- बी - ओपरेशन	(ओ) 1399.14 (एस) 30.00 (आर) (-) 64.56 1364.57	1360.12	(-) 4.45
60	38	जन- स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01- जलापूर्ति 799- उर्चत 99- उर्चत	(ओ) 4.00 (आर) (-) 2.00 2.00	(-) 26.34	(-) 28.33
61	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01- जलापूर्ति 101- शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम 99- शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का अनुरक्षण 98- अनुरक्षण प्रभार		(ओ) 67.50 (एस) 10.00 (आर) 5.55 83.05	79.46	(-) 3.59	
62	4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02- सीवरेज एवं स्वच्छता 101- शहरी स्वच्छता सेवाएं 94- सीवरेज एवं स्वच्छता		(ओ) 150.00 (आर) 6.65 156.65	157.91	(+) 1.26	

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
63			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01- जलापूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 93- ग्रामीण जलापूर्ति 93- नाबाई	(ओ) 98.40 (आर) (-) 8.17 90.23	92.99	(+) 2.76
64			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01- जलापूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 96- मरुस्थल विकास कार्यक्रम	(ओ) 99.00 (एस) 2.43 (आर) (-) 1.04 100.39	102.31	(+) 1.92
65	41	इलेक्ट्रॉनिक तथा आई.टी.	2852- उद्योग 07- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 202- इलेक्ट्रॉनिक 89- नैशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	(ओ) 5.96 (एस) 10.87 (आर) 3.67 20.50	9.63	(-) 10.87
66		लोक ऋण	6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109- अन्य संस्थानों से ऋण 99- एन.सी.आर.पी.बी. (पी.एच. तथा बी. एंड आर.) से ऋण	(ओ) 366.06 (आर) (-) 49.75 316.31	77.38	(-) 238.93
						(-) 1307.71 (+) 499.40

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	27	(+) 504.57
विनियोजन में से बचत (-)	39	(-) 1,307.71
कुल	66	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 10, 11 और 48	3	50.46
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 31, 34, 36, 55 और 65	5	87.13
कुल	8	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 7, 8, 9, 14, 16 और 47	6	375.43
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 12, 13, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 50, 51, 52, 60 और 66	13	1,157.58
कुल	19	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 43)

मार्च 2015 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	1-विधान सभा	63.66	10.88	74.54	61.55	12.99	11.56
2	3-सामान्य प्रशासन	169.64	8.77	178.41	164.63	13.78	11.59
3	4-राजस्व	891.38	122.71	1,014.09	929.34	84.75	303.20
4	5-आबकारी एवं कराधान	181.76	1.05	182.81	153.41	29.40	29.65
5	6-वित्त	4,565.51	299.81	4,865.33	4,654.48	210.85	210.73
6	7-योजना एवं सांख्यिकी	409.04	0.36	409.40	75.82	333.58	329.29
7	8-भवन एवं सड़क	1,159.12		1,159.12	1,077.58	81.54	82.59
8	9-शिक्षा	9,459.11	654.62	10,113.73	8,744.23	1,369.50	1,372.37
9	10-तकनीकी शिक्षा	491.20	--	491.20	354.12	137.08	130.30
10	11-खेल एवं युवा कल्याण	183.28	48.40	231.67	172.85	58.82	56.26
11	13-स्वास्थ्य	2,699.87	50.00	2,749.87	2,173.69	576.18	579.50
12	14-शहरी विकास	136.08	--	136.08	103.44	32.64	32.50
13	15-स्थानीय शासन	2,070.98	50.00	2,120.98	1,536.98	584.00	422.07
14	17-रोजगार	79.86	--	79.86	54.71	25.15	25.26
15	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	208.45	15.97	224.42	200.42	24.00	24.47
16	19-एस.सी., एस.टी. और ओ. बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	365.09	--	365.09	270.00	95.09	91.61
17	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,909.22	249.20	3,158.42	2,878.66	279.76	279.85
18	21-महिला एवं बाल विकास	886.10	6.80	892.91	697.83	195.08	195.26
19	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	366.66	--	366.66	200.24	166.42	166.43
20	24-सिंचाई	1,621.54	3.95	1,625.49	1,113.49	512.00	222.76
21	27-कृषि	1,254.54	21.60	1,276.14	802.40	473.74	455.65
22	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	556.07	--	556.07	504.74	51.33	51.45
23	30-वन एवं वन्य जीवन	315.41	32.12	347.53	315.97	31.56	33.97
24	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,503.01	55.87	2,558.87	1,977.92	580.95	520.46
25	33-सहकारिता	246.59	9.30	255.89	240.03	15.86	15.93
26	34-परिवहन	1,878.38	30.20	1,908.58	1,791.66	116.92	112.25
27	36-गृह	2,598.68	80.04	2,678.72	2,653.61	25.11	25.74
28	37-निर्वाचन	100.23		100.23	85.50	14.73	14.75
29	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,427.29	48.40	1,475.69	1,360.20	115.49	83.42
30	39-सूचना एवं प्रचार	145.62	--	145.62	101.33	44.29	44.25
31	40-ऊर्जा एवं विद्युत	4,533.77	843.22	5,376.99	5,256.49	120.49	120.43
32	42-न्याय-प्रशासन	351.54	123.27	474.81	376.74	98.07	96.98
कुल		44,828.68	2,766.54	47,595.22	41,084.06	6,511.16	6,152.53

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (भारित)							
33	6-वित्त	7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16
	कुल	7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16
पूँजीगत (दत्तमत)							
34	8-भवन एवं सड़क	2,073.62	221.33	2,294.96	1,845.35	449.61	450.98
35	9-शिक्षा	27.23		27.23	12.72	14.51	14.51
36	14-शहरी विकास	800.00		800.00	427.77	372.23	376.98
37	21-महिला एवं बाल विकास	170.48	50.11	220.59	56.62	163.97	163.97
38	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	8,806.61		8,806.61	5,542.49	3,264.12	3,264.12
39	24-सिंचाई	510.24		510.24	913.13	(-)402.89	33.91
40	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	20.00		20.00	4.50	15.50	15.50
41	33-सहकारिता	42.79	36.38	79.17	65.27	13.90	13.90
42	34-परिवहन	196.20	1.00	197.20	168.07	29.13	29.13
43	36-गृह	124.00	15.00	139.00	120.16	18.84	18.84
44	38-जन-स्वास्थ्य एवं जल सेवाएं	1,000.20	106.50	1,106.70	959.96	146.74	153.54
45	40-ऊर्जा एवं विद्युत	500.00		500.00	66.94	433.06	433.06
46	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,001.41	--	1,001.41	842.87	158.54	158.92
	कुल	15,272.78	430.32	15,703.11	11,025.85	5,080.16	5,127.36
पूँजीगत (भारित)							
47	लोक ऋण	13,849.85		13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
	कुल	13,849.85		13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
	कुल योग	81,556.63	4,140.17	85,696.81	67,919.09	(+) 17,777.72 (-) 402.89	17,083.97

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 44)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्योरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2015 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	04- राजस्व	2705- कमांड क्षेत्र विकास	38.00	20.90	55.00	11.40	30.00
2.	06- वित्त	2075- विविध सामान्य सेवाएं	653.66	653.53	99.98	591.51	90.49
3.	07- योजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	58.83	50.99	86.68	48.26	82.03
4.	13- स्वास्थ्य	4210- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	36.25	36.25	100.00	0.00	0.00
5.	14- शहरी विकास	2217- शहरी विकास	103.44	73.53	71.08	3.16	3.05
6.	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	89.72	53.78	59.95	45.92	51.18
7.	25- उद्योग	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	72.83	41.95	57.60	9.47	13.00
8.	27- कृषि	2401- फसल पालन	526.28	311.59	59.21	149.82	28.47
9.	32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	55.69	36.63	65.77	35.96	64.57
10.	33- सहकारिता	4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	63.03	48.27	76.58	48.09	76.30
11.	36- गृह	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	120.16	74.34	61.87	67.45	56.13
कुल			1,817.89	1,401.76	77.11	1,011.04	55.62

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैट	214	3.07
2.	भिवानी	395	3.27
3.	चण्डीगढ़	24	0.17
4.	फरीदाबाद	306	3.94
5.	फतेहाबाद	15	0.67
6.	गुड़गांव	145	5.43
7.	हिसार	248	3.21
8.	जगाधरी	72	0.65
9.	झज्जर	55	0.34
10.	जींद	10	0.09
11.	कैथल	55	0.49
12.	करनाल	968	10.74
13.	कुरुक्षेत्र	22	0.36
14.	नारनौल	92	0.65
15.	नूंह	50	0.61
16.	पानीपत	94	1.07
17.	पंचकुला	89	0.55
18.	रेवाड़ी	156	1.20
19.	रोहतक	196	1.94
20.	सिरसा	79	0.98
21.	सोनीपत	131	0.91
कुल		3,416	40.34

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा स्कीम	2.50	--	--
2		मौसम आधारित फसल बीमा	40.00	--	--
3	सिंचाई	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी)	32.91	--	--
4	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जल ग्रस्त क्षेत्रों का सुधार (50:40:10)	2.25	--	--
6	माध्यमिक शिक्षा	राज्य में किसान आदर्श विद्यालय की स्थापना	3.18	--	--
7		एजूसैट प्रोजेक्ट की स्थापना	3.00	--	--
8	उच्चतर शिक्षा	हरियाणा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र जींद	10.00	--	--
9		राज्य में एजुकेशन सिटी की स्थापना (एजूसैट)	1.00	--	--
10		सरकारी कालेजों एवं होस्टलों का रख-रखाव	2.00	--	--
11	तकनीकी शिक्षा	नए सरकारी बहुतकनीकों की स्थापना (एन.सी.आर.पी.बी.)	60.00	--	--
12	चिकित्सा शिक्षा	एन.सी.आर.पी.बी. ऋण	10.00	--	--
13		मैडीकल कालेज/हस्पताल खानपुर कलां सोनीपत पी.एच.2 का विस्तार (एन.सी.आर.पी.बी.)	40.00	--	--
14		पी.जी.आई. रोहतक में मार्चरी के निर्माण के लिए	10.00	--	--
15	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक स्कालरशिप	1.70	--	--
16		वृद्धों तथा अशक्तों के लिए घर (रेवाड़ी)	1.00	--	--
कुल			219.54	-	-

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	10.00	0.70
2	वन	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन)	25.00	20.00
3	सामुदायिक विकास	पूर्ण स्वच्छता अभियान अब निर्मल भारत अभियान	50.00	11.32
4	माध्यमिक शिक्षा	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के लिए गर्ल्स हास्टल का निर्माण एवं चालन (90:10)	3.60	1.78
5	स्वास्थ्य	सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	1.50	0.50
6		ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल खोलना/सुदृढीकरण	3.00	0.01
7		एन.पी.सी.डी.सी.एस./एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्वयन	3.00	0.01
8	शहरी विकास	राज्य की नगरपालिकाओं में चौपालों/सामुदायिक केंद्र के उन्नयन के लिए स्कीम (मुख्य मंत्री की घोषणा)	98.55	30.00
9		सैटेलाइट और काउंटर मैगनेट टाउनस का विकास	5.18	4.68
10		जे.एन.एन.यू.आर.एम. (सी.एस.एस. का केंद्रीय हिस्सा)	150.00	2.85
11	स्वर्ण ज्यंती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण ज्यंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)	4.52	0.01
12	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	चण्डीगढ़ मैट्रो	25.00	0.01
13	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	कन्यादान	1.00	0.10
14	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	कौशल विकास मिशन	4.62	0.50
15	खाद्य एवं आपूर्ति	पशुफार्म हिसार, एच.एस.ए.एम.बी. बरवाला, हिसार तथा ग्राम भोर सैदा, कुरुक्षेत्र में गोदाम का निर्माण	50.00	3.00
16	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	गवर्नमेंट प्रैस सैक्टर - 18, चण्डीगढ़ का विस्तार	7.90	0.45
17	न्याय प्रशासन	ज्यूडिशरी सहित ग्राम न्यायालयों के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं का विकास	14.00	2.00
कुल			456.87	77.92

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	सामुदायिक विकास	निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	150.00	150.00
2	सिंचाई	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी)	1.63	1.63
3		यमुना के किनारों को उठाना एवं सुदृढीकरण	2.00	2.00
4	इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	एस.यू.आई.डी.एच. (टी.एफ.सी.) के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को युनीक आई.डी.	6.42	6.42
5	नागर विमानन	प्रशिक्षक/उन्नत प्रशिक्षक विमान का प्रापण	2.00	2.00
6	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	मशीनरी एवं उपकरण	2.00	2.00
7	माध्यमिक शिक्षा	सरकारी विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन	2.00	2.00
8	आयुष	पट्टीकारा गांव, नारनौल में नए सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय/चिकित्सालय को खोलना/स्थापित करना	7.65	7.65
9		अनिवार्य दवाओं की आपूर्ति	1.24	1.24
10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	इंदिरा गांधी जल स्कीम (अब अनुसूचित जाति बहुतायत वाले निवास स्थलों को जलापूर्ति)	20.00	20.00
11	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	रोजगार उत्पन्न करने वाले संस्थानों जैसे ब्रूइविंग ट्रेनिंग स्कूल जे.वी.टी. ट्रेनिंग संस्थान, पैरामेडिकल/नर्सिंग/एयर होस्टेस आदि स्थापित करके रोजगार उत्पन्न करने के अवसर सृजित करना	1.00	1.00
12		एच.एस.सी.एफ. और डी निगम को हिस्सा पूंजी	1.00	1.00
13		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए)	1.00	1.00
14		निजी संस्थाओं के द्वारा उच्चतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता	3.50	3.50
15		अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण	2.40	2.40
16		पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम	1.70	1.70
17		अन्य पिछड़े वर्गों और अपरिभाषित नोमैडिक और सेमी नोमैडिक के विकास के लिए स्कीम (अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	5.00	5.00
कुल			210.54	210.54

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के अस्सी प्रतिशत से कम था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	व्यय	अनुमोदित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1	बागवानी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	28.50	31.90	18.19	64
2	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत)	3.00	4.00	1.83	61
3	ग्रामीण विकास	एकीकृत वाटर शैड प्रबंध कार्यक्रम (90:10)	15.00	27.00	7.94	53
4	भू- अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण एवं आधुनिक रिकार्ड कक्ष	5.00	12.35	0.48	10
5	मेवात विकास बोर्ड	सामुदायिक कार्य	7.79	8.34	4.68	60
6	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	डब्ल्यू.यू.ए.एस. को संस्थागत समर्थन (45:45:10)	2.70	2.84	0.56	21
7	माध्यमिक शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/आर.एम.एस.ए.) (सी.एस.एस.)	150.00	200.00	61.61	41
8		श्रेष्ठता के निर्देशचिन्ह के रूप में खंड स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम	10.00	16.36	6.87	69
9		सूचना एवं संचार व प्रौद्योगिकी स्कीम	60.00	69.58	2.44	4
10		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25)	50.00	65.35	8.11	16
11	खेलकूद	खेलकूद स्कीम का सामूहिक प्रचार	1.00	1.33	0.68	68
12	स्वास्थ्य	सिविल सर्जनों के लिए जिला स्टाफ की निरंतरता	3.38	5.09	2.63	78
13	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी हरियाणा)	75.00	149.12	56.69	76
14	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	5.12	5.15	3.61	71
15		आंगनवाड़ी सुरक्षा बीमा योजना ए.डब्ल्यू.एस./सहायकों की भविष्य बीमा सुरक्षा स्कीम के रूप में पुनः नामकृत	4.00	5.34	3.10	78
कुल			420.49	603.75	179.42	43

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के अस्सी प्रतिशत से कम था
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित योजना 2014-15			संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
			अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	
1	कृषि (फसल पालन)	कृषि विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	8.50	2.50	1.71	68
2		किसानों को भूमि एवं जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना	1.00	0.50	0.05	9
3		वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन गुणवत्ता शहद कृषीय तथा अकृषीय श्रमिक	4.50	3.80	2.60	69
4		भूमि स्वास्थ्य एवं उर्वरकता की व्यवस्था पर राष्ट्रीय परियोजना	2.00	0.52	0.37	72
5		एस.सी. कोप सहित तिलहन, पाम आयल और मक्का के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत स्कीम	2.25	1.00	0.64	64
6		राज्य विस्तार कार्यक्रम (सी.एस.एस. का केंद्रीय हिस्सा)	2.60	1.35	0.74	55
7		राष्ट्रीय भोजन सुरक्षा मिशन (सी.एस.एस. का केंद्रीय हिस्सा)	55.00	50.00	26.71	53
8	बागवानी	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	2.00	1.57	1.16	74
9		माइक्रो सिंचाई	46.49	28.90	14.34	50
10		सस्टेनेबल कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	36.00	25.20	14.20	56
11		औषधीय प्लांट्स पर मिशन सहित आयुष पर राष्ट्रीय मिशन	1.90	1.18	0.88	74
12	पशु पालन एवं डेयरी उद्योग	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	1.00	0.85	0.04	5
13		राष्ट्रीय पशुधन व्यवस्था कार्यक्रम (75:25)	15.00	7.00	0.29	4
14	सहकारिता	सहकारी विभाग का कंप्यूटरीकरण	6.00	0.50	0.17	35
15		एस.सी. और सामान्य एल/सी. सोसईटियों को सहायता	1.00	0.75	0.42	57
16	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	15.00	8.33	4.33	52
17		एकीकृत वाटरशेड व्यवस्था कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	5.00	3.00	0.88	29
18	सिंचाई	घग्गर नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण	7.00	1.50	0.82	55
19		वार्षिकी प्रभार	20.00	12.00	7.95	66
20	उद्योग	एम.एस.एम.ई. समूह विकास कार्यक्रम	6.00	0.84	0.60	71
21	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	हाऊसिंग स्कीम (सरकारी आवासीय भवन लोक निर्माण)	5.00	1.50	0.97	65

क्र.सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित योजना 2014-15			संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
			अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	
22	सड़क परिवहन	कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	2.00	0.50	0.05	9
23		विनियामक विंग का भूमि एवं भवन कार्यक्रम	11.29	6.30	3.50	56
24	डी.ई.एस.ए.	राज्य स्तर पर आयोजना मशीनरी का सुदृढीकरण	1.00	0.50	0.37	73
25		विकेंद्रित/जिला आयोजना सामान्य घटक	235.00	60.70	29.44	48
26		विकेंद्रित/जिला आयोजना एस.सी.एस.पी. घटक	140.00	40.00	19.58	49
27	माध्यमिक शिक्षा	कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी बी.पी.एल. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	15.00	12.00	8.64	72
28		शिक्षक कल्याण फंड	2.00	1.00	0.42	42
29		निदेशन एवं प्रशासन-मुख्यालय स्टाफ एवं डी.ई.ओ. मेवात और पलवल कार्यालयों के लिए वेतन	11.03	9.67	4.87	50
30		शिक्षा का सुदृढीकरण-स्कूल में शिक्षा व्यवस्था प्रशासन और आयोजना का सुदृढीकरण-मासिक पत्रिका और शिक्षक डायरी का मुद्रण	1.04	0.60	0.37	62
31		ई-गवर्नेंस और एच.क्यू., डी.ओ., एस. डी.ई.ओ. कार्यालय का कम्प्यूटराईजेशन	4.00	2.55	1.66	65
32		शिक्षा और प्रशिक्षण जिला संस्थान (डी.आई.ई.टी.ज) की स्थापना (75:25)	18.35	13.23	10.48	79
33		साक्षर भारत	9.46	4.00	3.15	79
34	श्रेष्ठता के चिन्ह के रूप में खंड स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम	शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा सहित शिक्षा विकास के लिए समर्थन	50.00	45.03	34.68	77
35		हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	78.35	73.25	10.00	14
36		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	439.35	325.00	155.05	48
37	विद्युत	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	218.82	113.25	10.00	9
38		नवीकरण योग्य ऊर्जा	1.50	1.31	0.24	18
39	उच्चतर शिक्षा	सामान्य जनता के लिए सौर वाटरहीटिंग प्रणाली के प्रस्थापन को प्रोत्साहन	1.38	0.60	0.38	63
40		हिसार हरियाणा में नया कन्या बी.एन.सी.सी. बनाना	1.38	0.60	0.38	63
41		राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन.एस.एस.)	2.00	0.53	0.32	61

क्र.सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित योजना 2014-15			संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
			अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	
42	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	2.00	1.00	0.28	28
43		तकनीकी शिक्षा परियोजना फेज - iv	10.00	5.00	1.50	30
44		एस.सी. छात्रों को फीस की प्रतिपूर्ति	11.00	5.00	0.19	4
45	चिकित्सा शिक्षा	मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना	36.00	35.00	20.18	58
46	स्वास्थ्य	नशा मुक्ति केंद्रों का सुदृढ़ीकरण	4.50	2.66	1.87	70
47		मलेरिया	10.00	8.73	6.81	78
48	स्वाद्य एवं दवा प्रशासन	स्थापना	5.00	3.90	2.65	68
49	आयुष	जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	1.41	1.15	0.49	42
50	कर्मचारी राज्य बीमा	बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य हिस्सा)	13.90	4.95	3.77	76
51		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कार्मिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	15.00	10.00	3.58	36
52	शहरी विकास	राजीव गांधी आवास योजना	50.99	30.00	18.10	60
53	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	शहरी मूलभूत संरचना विकास फंड को ऋण/विभिन्न विभागों के लिए प्रोत्साहन पैकेज	800.00	541.00	423.02	78
54		अध्ययन आयोजित करने के लिए	1.00	0.55	0.34	61
55	श्रम	फरीदाबाद, गुडगांव में श्रम परिसर का निर्माण	11.00	4.00	2.89	72
56	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	30.00	5.00	3.17	63
57	महिला एवं बाल विकास	हरियाणा बाल कल्याण परिषद	17.00	12.00	5.76	48
58		आंगनवाडी केंद्रों का निर्माण	102.49	102.46	49.62	48
59	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आवकारी एवं कराधान भवन, चैक बैरियर इत्यादि	10.00	1.50	0.83	55
60		ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कार्मिकों को गृह स्थल	2.00	0.10	0.02	20
कुल			2,671.10	1,666.81	934.16	56

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vi); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आउटले से बीस प्रतिशत या इससे अधिक से बढ़ गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1	कृषि	कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	5.00	5.00	6.69	134
2	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)	34.65	15.00	21.78	145
3		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) (90:10)	350.00	150.00	196.03	131
4	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	न्यायिक मूलभूत संरचना (आवासीय) का विकास (न्याय प्रशासन)	10.00	10.00	15.51	155
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	हरियाणा विज्ञान टैलेट खोज स्कीम	2.00	2.00	2.40	120
6	आयुष	श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं फार्मसी, कुरुक्षेत्र/नशा परीक्षण लैब एवं आई.एस.एम.आर. पंचकुला की निरंतरता/सुधार	5.35	5.35	9.82	184
7	जन स्वास्थ्य	उंचंत (स्टॉक) यू.आर.बी.ए.एच.	5.00	5.00	8.33	167
8	अभियांत्रिकी	रख - रखाव	15.00	20.00	25.68	128
9	सूचना एवं जन - संपर्क	इतिहास एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
10		हरियाणा संस्कृति अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
11		पंजाबी अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
12		राज्य में हाली उर्दू अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
13		हरियाणा साहित्य अकादमी और ग्रंथ अकादमी की सहायता	6.00	4.60	6.00	131
14	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	सी.एस.एस. (बी) का केंद्रीय हिस्सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम	16.70	16.70	21.19	127
15	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	4.00	1.35	4.00	296
16	सहकारिता	कृषकों के लिए एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. को ऋण	0.00	100.00	203.87	204
कुल			459.70	339.59	527.31	155

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के अस्सी प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित/संशोधि त आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1	कृषि	फसल विविधता को प्रोत्साहन	8.00	5.14	64
2		राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन	3.00	1.91	64
3	पशु पालन एवं डेयरी उद्योग	आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत पशुपालन निर्माण/पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना सुदृढीकरण पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	4.50	23
4	ग्रामीण विकास	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (सी.ए.)	30.00	19.10	64
5		स्थानीय क्षेत्र विकास के संसद सदस्य (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	61.00	32.62	53
6	पंचायतें	मैचिंग ग्रांट्स स्कीम	2.00	1.09	55
7	विद्युत	यू.एच.बी.वी.एच.एल.	113.50	10.00	9
8	नवीकरण योग्य ऊर्जा	शिक्षादीप स्कीम/एस.सी. परिवारों के लिए आई.ए.वाई. गृहों के लिए सौर ऊर्जा स्कीम	1.00	0.60	60
9		विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा पैक/संयंत्र (आफ ग्रिड सोलर पावर पैक) का एप्लीकेशन प्रदर्शन	1.00	0.40	40
10	खान एवं खनिज	खदानों एवं खनिजों का विकास	1.20	0.20	16
11	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	सूचना प्रौद्योगिकी	2.15	0.08	4
12		प्रधानमंत्री ग्राम सुधार योजना	500.00	218.96	44
13	सड़क परिवहन	विनियामक विंग का कंप्यूटराइजेशन	1.10	0.11	10
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	एच.ए.आर.एस.ए.सी. की प्रशासन स्थापना	2.00	0.57	28
15	प्राथमिक शिक्षा	मूलभूत संरचना एवं उपकरण का प्रावधान (ड्यूल डेस्क)	50.00	0.29	1
16		बी.पी.एल. छात्रों (i-viii) को मासिक स्टाइपेंड फीस	25.00	11.91	48
17		प्राथमिक शिक्षा का कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग	1.40	0.77	55
18		छठी कक्षा में एस.सी. लड़कों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	6.00	1.04	17

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित/संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
19	माध्यमिक शिक्षा	वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च स्कूल में पृथक कन्या टॉयलेट/हैंडपंप का निर्माण (नाबाई)	27.23	12.73	47
20		सरकारी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ड्यूल डैस्क का प्रावधान	10.00	2.83	28
21		जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.ज) की स्थापना (75:25)	1.66	0.99	60
22	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. के लिए हास्टल का निर्माण	10.00	4.50	45
23	स्वास्थ्य	एस.सी. के लिए जननी सुरक्षा स्कीम	15.90	7.33	46
24		उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./सी.एम.सी.	5.00	2.70	54
25		गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना (आरोग्य कोष)	1.50	0.25	17
26	जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	आई.ई.सी. गतिविधियां सूचना शिक्षा संचार सांझा करना	1.80	0.88	49
27		राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एन.आर.सी.पी.)	70.00	12.31	18
28	शहरी विकास	प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए स्कीम	10.00	2.12	21
29	एस.सी./बी.सी. का कल्याण	अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन	1.00	0.62	62
30		अत्याचार के शिकारों को वित्तीय राहत	1.50	1.07	71
31		एस.सी. के विकास के लिए स्कीम	25.00	3.00	12
32	श्रम	निःसहाय और प्रवासी बाल श्रमिकों का पुनर्वास	1.20	0.66	55
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य स्तर परियोजना/गृह रोहतक (सिरतार)	3.25	1.87	57
34		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम	14.76	7.77	53
35	महिला एवं बाल विकास	हरियाणा महिला विकास निगम (सब्सिडी और हिस्सा पूंजी)	3.50	2.10	60
36		ऐच्छिक सैक्टर सुदृढीकरण	1.00	0.00	0
37		राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन/इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	1.00	0.24	24
38		किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीमज (सबला)	4.00	1.29	32
39	ट्रेजरी तथा लेखे	ट्रेजरी एवं लेखे (ऑनलाईन)	8.00	2.13	27
40	आबकारी एवं कराधान	आबकारी एवं कराधान (सी.एस.एस.) ऑनलाईन	29.75	5.59	19
कुल			1,075.40	382.28	36

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii); पृष्ठ 48)

स्कीमों का विवरण जिनके संशोधित अनुमान बढ़ाए गए लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
1.	खेल	पंचायती युवा क्रीडा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)	1.70	7.60	-
2.	खेल	पंचायती युवा क्रीडा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) केंद्र हिस्सा	1.00	22.80	-
3.	शहरी विकास	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	10.00	20.00	-
कुल			12.70	50.40	-
4.	कृषि	कृषीय यंत्रीकरण का प्रस्तुतिकरण (75:25)	-	0.83	-
5.	बागवानी	बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना	-	0.01	-
6.	वन	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	-	6.65	-
7.	तकनीकी शिक्षा	मेवात इंजीनियरिंग कालेज, गांव पाला, मेवात में नए ब्वायज होस्टल का निर्माण	-	2.00	-
8.	स्वास्थ्य	एच.एम.आई.एस. स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए एच.एस.एच.आर.सी. को जी.आई.ए.	-	12.44	-
9.	आयुष	राष्ट्रीय आयुष मिशन (केंद्र हिस्सा)	-	6.28	-
10.	आयुष	पी.जी.आई.एम.एस, रोहतक में आयुष के विशेषीकृत थेरेपी केंद्र की स्थापना	-	0.26	-
11.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	एम.एल.ए. फ्लैटस	-	5.00	-
कुल			-	33.47	-

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 48)

2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 14 (शहरी विकास) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही (प्रतिशतता) के दौरान व्यय के निर्धारित नार्मज	तिमाही व्यय	वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
04/14	4.80	I	25	76.27	14.36
05/14	4.45				
06/14	67.02				
07/14	5.72	II	20	62.42	11.75
08/14	22.99				
09/14	33.72				
10/14	105.94	III	25	157.36	29.62
11/14	27.35				
12/14	24.06				
01/15	124.89	IV	30	235.16	44.27
02/15	33.38				
03/15	76.89				
कुल	531.21			531.21	

अनुदान संख्या 14 (शहरी विकास) के अंतर्गत स्कीमों का विवरण जहां अंतिम तिमाही में 100 प्रतिशत व्यय हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
योजना					
1	4217-60-51-92	एस.बी. 92 सिंचाई विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	51.00	51.00	100
2	2217-800-87	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, दिल्ली के चारों ओर एन.सी.आर. को सहायता अनुदान एस.बी. 87	63.31	63.31	100

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 48)

पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का विवरण	वर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2217-80-001-94 शहरी संपदा स्थापना भूमि अधिग्रहण तथा विकास स्कीम (जिला स्टाफ)	2012-13	3.04	-	3.04	2.57	0.47	15.61
		2013-14	3.07	0.21	3.28	3.01	0.27	8.24
		2014-15	5.26	-	5.26	3.76	1.50	28.57
2	2217-80-001-98 शहरी संपदा स्थापना भूमि अधिग्रहण तथा विकास स्कीम (मुख्यालय स्टाफ)	2012-13	0.84	0.03	0.87	0.83	0.04	4.62
		2013-14	1.03	-	1.03	0.81	0.21	20.87
		2014-15	1.21	-	1.21	0.90	0.31	25.35
3	2217-80-800-87 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/दिल्ली के चारों ओर एन.सी.आर. को सहायता अनुदान	2012-13	33.08	178.29	211.37	194.30	17.07	8.07
		2013-14	123.80	-	123.80	40.06	83.74	67.65
		2014-15	89.36	-	89.36	63.31	26.05	29.15
4	4217-60-51-90 मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	2012-13	180.00	-	180.00	123.95	56.05	31.13
		2013-14	350.00	-	350.00	48.06	301.94	86.26
		2014-15	450.00	-	450.00	129.16	320.84	71.30

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 49)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह व्यय
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	2401-109-सस्टेनेबल कृषि के प्रमोशन के लिए स्कीम- नीतिपरक पहल	8.00	8.00	100.00	
2	2401-108-83 फसल विविधता के प्रमोशन के लिए स्कीम	5.14	5.03	97.86	
3	2401-105-86 संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरकों की स्टॉकिंग तथा वितरण के लिए स्कीम	13.00	13.00	100.00	
4	2401-789-99 अनुसूचित जाति किसानों के लिए खाद्यान्नों के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भंडारण के लिए स्कीम	2.80	2.80	100.00	
5	2401-108-81 गन्ने पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए स्कीम	1.96	1.30	66.33	
6	2401-107-93 सामान्य श्रेणी किसानों द्वारा खाद्यान्नों के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भंडारण के लिए स्कीम	2.10	2.10	100.00	
7	2401-108-80 हरियाणा राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्कीम	2.53	1.27	50.20	
8	2401-789-89 किसानों के ग्रुप तथा एस.सी. श्रेणी के किसानों के लिए सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदान करने के लिए स्कीम	2.86	2.86	100.00	
9	2401-109-80 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	166.49	154.74	92.94	
10	2401-109-77 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम)	22.97	22.97	100.00	
11	2401-789-85 अनुसूचित जाति किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एस.एफ.एम.)	3.75	3.75	100.00	
12	राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम आयल मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.)	1.76	1.76	100.00	
13	2402-102-80 जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम	8.32	5.48	65.87	
14	2402-101-97 राज्य में एकीकृत वाटरशेड विकास तथा प्रबंधन परियोजना के लिए स्कीम	6.06	2.44	40.26	
15	2401-119-59 बागवानी का सुदृढीकरण	1.52	1.52	100.00	0.11
16	2401-119-58 बागवानी सेक्टर में विकसित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों को बढ़ावा देना	5.50	2.28	41.45	0.48
17	2401-789-98 अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास	4.57	3.52	77.02	1.46
18	2401-119-72 माइक्रो सिंचाई	28.54	9.60	33.64	2.28
कुल		304.41	252.96	83.10	4.33

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 49)

2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 27 में बजट प्रावधान की 20 प्रतिशत तथा ₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2401-105-98-कैमिकल खाद की खरीद तथा वितरण कृषि विभाग के साथ स्टाफ की निरंतरता	15.45	11.19	4.26	27.58
2	2401-107-99-प्लांट संरक्षण आपरेशन	17.35	13.10	4.24	24.45
3	2401-108-80-हरियाणा राज्य में कपास की खेती के प्रोत्साहन के लिए स्कीम	4.50	2.54	1.96	43.53
4	2401-108-83-फसल विविधता के प्रोत्साहन के लिए स्कीम	8.00	4.30	3.70	46.25
5	2401-108-86-99-तिलहन, दालों, ताड़ तेल तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) की एकीकृत स्कीम को राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयलपाम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) मिशन के रूप में पुनः नामकृत किया गया	2.40	1.28	1.12	46.76
6	2401-108-86-तिलहन, दालों, ताड़ तेल तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) की एकीकृत स्कीम को राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयलपाम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) मिशन के रूप में पुनः नामकृत किया गया	2.00	1.00	1.00	50.00
7	2401-108-94-हरियाणा में गन्ना विकास	10.37	7.76	2.61	25.14
8	2401-108-98-हरियाणा में हाई यील्डिंग वैराइटी कार्यक्रम	22.80	16.95	5.85	25.67
9	2401-109-81-सस्टेनेबल कृषि नीतिगत शुरुआत की उन्नति के लिए स्कीम	13.00	8.00	5.00	38.46
10	2401-113-96-कृषि इंजीनियरिंग सेवा के लिए स्कीम	3.00	1.32	1.68	55.96
11	2401-119-55-औषधीय प्लांट्स पर राष्ट्रीय मिशन	1.90	0.88	1.03	53.95
12	2401-789-89-एस.सी. किसानों को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदान करने के लिए स्कीम	5.00	2.87	2.13	42.61
13	2401-789-99-अनुसूचित जाति किसानों को खाद्यान्नों के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भंडारण के लिए स्कीम	4.00	2.80	1.20	30.00
14	2415-01-277-99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	124.97	78.73	46.24	37.00
15	2702-02-005-99-राज्य में भूमिगत जल के विकास तथा विभिन्न नाबाई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए स्कीम	9.97	7.64	2.33	23.35
	कुल	244.71	160.36	84.35	34.47

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (vi); पृष्ठ 49)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय
2401-103-96 अच्छी गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा सुदृढ़ीकरण के लिए स्कीम	0.5	-0.5	0	0
2401-105-89 रेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-105-94 बायोगैस प्लांट की स्थापना	2.5	-2.5	0	0
2401-107-91 ई-पेस्ट निगरानी द्वारा प्लांट हेल्थकेयर प्लांट के लिए स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-108-91 कपास का उत्पादन बढ़ाना मिनी मिशन के अंतर्गत गहन एवं प्रौद्योगिकी मिशन	44.15	-44.15	0	0
2401-109-84 जैविक खेती (100 प्रतिशत सी.सी.एस.) पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए स्कीम	0.5	-0.5	0	0
2401-109-85 एक्सटेंशन रिफार्मज (शेयरिंग आधार) केंद्रीय हिस्सा 90 प्रतिशत, राज्य हिस्सा 10 प्रतिशत के लिए राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रम को केंद्रीय सैक्टर सहयोग के लिए स्कीम	4.00	-4.00	0	0
2401-109-99 प्रभारित कृषीय प्रदर्शन तथा प्रचार	0.10	-0.10		
2401-111-90 परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	10.00	-10.00	0	0
2401-111-91 मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम	40.00	-40.00	0	0
2401-111-92 केंद्रीय सैक्टर स्कीम पोस्ट हारवैस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन	2.5	-2.5	0	0
2401-113-83 केंद्रीय सैक्टर स्कीम पोस्ट हारवैस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन	3.00	-3.00	0	0
2401-119-56 बागवानी सांख्यिकी प्रणाली स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-119-72 माइक्रो सिंचाई पर स्कीम (शेयरिंग बेसिस पार्ट - II)	28.80	-28.80	0	0

मुख्य शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय
2401-119-97 (प्रभारित) हरियाणा में विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए स्कीम	0.06	-0.06	0	0
2401-789-86 अनुसूचित जाति किसानों के लिए बायोगैस प्लांट्स की स्थापना के लिए स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-789-87 अनुसूचित जाति किसानों के लिए सस्टेनेबल कृषि पर माइक्रो सिंचाई/राष्ट्रीय मिशन स्कीम	7.20	-7.20	0	0
2401-789-88 अनुसूचित जाति किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम	31.00	-31.00	0	0
2401-789-90 अनुसूचित जाति किसानों के लिए एक्सटेंशन रिफार्मज के लिए राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रम को सहायता	1.00	-1.00	0	0
2401-789-91 एस.सी. किसानों के लिए गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा सुदृढीकरण के लिए स्कीम	0.25	-0.25	0	0
2401-789-93 कपास का उत्पादन बढ़ाना, अनुसूचित जाति किसानों के लिए मिनी मिशन - II के अंतर्गत कपास पर इन्टैन्सिव तथा प्रौद्योगिकी मिशन	11.00	-11.00	0	0
2401-789-93 कपास का उत्पादन बढ़ाना, अनुसूचित जाति किसानों के लिए मिनी मिशन - II के अंतर्गत कपास पर इन्टैन्सिव तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.05	-0.05		
2401-789-94 अनुसूचित जाति किसानों के लिए ऑयल सीड, दाल, ऑयल पाम तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) को राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयलपाम (एन.एम.ओ.पी.) मिशन के रूप में पुनः नामकृत	0.60	-0.60	0	0
2401-789-97 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम	3.35	-3.35	0	0
2402-101-96 राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड हरियाणा के लिए स्कीम	0.10	-0.10	0	0
2402-102-86 जिला भिवानी तथा झज्जर में जलग्रस्त क्षेत्रों के पुनःउद्धार के लिए पायलट परियोजना	1.90	-1.90	0	0
कुल	192.60	-192.60	0	0

(परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2015 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण – पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण – पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण – पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण – पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग	2009-10	13	13.01	3	0.90	--	0.00	3	0.90
		2011-12	13	6.77	4	0.55	--	0.00	4	0.55
		2012-13	32	10.74	30	9.99	26	9.48	4	0.51
		2013-14	49	20.04	49	20.04	42	10.71	7	9.32
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2013-14	15	10.75	15	10.75	14	7.27	1	3.49
3	तकनीकी शिक्षा	2012-13	58	204.42	12	23.85	11	22.45	1	1.40
		2013-14	23	92.12	23	92.12	11	37.02	12	55.09
4	खेल एवं युवा सेवाएं	2012-13	120	37.97	45	12.64	31	4.32	14	8.32
		2013-14	21	14.05	21	14.05	11	11.20	10	2.85
5	सामान्य शिक्षा	2011-12	204	465.95	146	244.96	79	118.62	67	126.35
		2012-13	274	897.69	184	546.80	118	170.85	66	375.95
		2013-14	150	677.49	150	677.49	93	432.44	57	245.05
6	ग्रामीण विकास	2008-09	248	432.97	13	43.26	3	40.59	10	2.67
		2009-10	205	399.73	18	109.87	3	2.39	15	107.48
		2010-11	221	315.62	41	87.91	10	9.65	31	78.27
		2011-12	630	829.98	235	455.91	89	62.39	146	393.51
		2012-13	546	977.76	438	645.29	136	68.71	302	576.58
		2013-14	477	1,362.43	477	1,362.43	128	427.69	349	934.75
7	शहरी विकास	2011-12	64	894.67	6	38.27	2	25.74	4	12.53
		2012-13	96	1,274.01	87	1,255.25	27	348.86	60	906.39
		2013-14	73	1,120.80	73	1,120.80	16	60.10	57	1,060.70
8	सहकारिता	2012-13	8	146.83	3	0.80	--	0.00	3	0.80
		2013-14	6	125.55	6	125.55	5	125.25	1	0.30
9	फसल पालन	2012-13	7	44.29	7	44.29	6	44.28	1	0.01
		2013-14	6	51.58	6	51.58	5	44.65	1	6.93
10	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2012-13	17	32.63	2	0.45	1	0.38	1	0.07
11	मछली पालन	2013-14	36	1.26	36	1.26	35	1.22	1	0.05
12	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2012-13	28	17.41	5	11.55	2	0.70	3	10.85
		2013-14	23	18.11	23	18.11	19	5.41	4	12.70
13	कमांड क्षेत्र विकास	2013-14	17	164.06	17	164.07	13	27.45	4	136.61
14	सूचना एवं प्रचार	2012-13	18	5.61	11	3.24	5	1.04	6	2.20
		2013-14	14	10.02	14	10.02	--	0.00	14	10.02
15	इकोलोजी एवं पर्यावरण	2012-13	6	1.22	6	1.22	--	0.00	6	1.22
		2013-14	5	1.17	5	1.17	--	0.00	5	1.17
कुल			3723	10,678.73	2211	7,206.44	941	2,120.88	1270	5,085.56

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय			
1.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.67 0.61 1.05 1.81 1.75 2.25 2.04
2.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	5.42 6.91 6.72 6.83
3.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14	1.16 1.00
4.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2012-13 2013-14	1.86 1.87
5.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	6.57
6.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	5.36 5.32 8.34 7.64 7.84
7.	गुरु नानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	6.13
8.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	4.06
9.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.49 0.42 0.45 0.53 0.53 0.60 0.70 0.94 1.43 1.58 1.88
10.	हिंदु कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2013-14	2.86
11.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14	1.42
12.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14	2.46
13.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	1.79 2.22 2.00 1.93
14.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14	2.42

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
15.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14	2.51
16.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2013-14	1.20
17.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	2.00 2.12 2.52 2.59 2.37
18.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14	3.09 3.30
19.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	2.75 3.91 2.66 2.38
20.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14	2.25 2.28
21.	एस.एन.आर.एल. जयराम कन्या महाविद्यालय, लोहार माजरा, कुरूक्षेत्र	2013-14	0.62
22.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13 2013-14	2.58 2.52
23.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, मंडी डबवाली, सिरसा	2013-14	2.12
24.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2011-12 2012-13 2013-14	0.39 0.61 0.55
25.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39
26.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14	1.15
27.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	2.28 2.38 3.86 3.72 3.70
28.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13 2013-14	6.73 4.75
29.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	1.04 0.97 0.75
30.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14	1.28 1.53
31.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	1.14 1.23 1.30
32.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	4.87 5.03 5.33
33.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	1.32 2.29 2.10 2.57 2.41

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
34.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	0.48
		2010-11	0.77
		2011-12	0.85
		2012-13	0.70
		2013-14	0.62
35.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	0.47
		2013-14	0.28
36.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	2.62
		2013-14	2.53
37.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11	2.10
		2011-12	2.28
		2012-13	2.09
		2013-14	1.87
38.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11	2.89
		2011-12	4.55
		2012-13	3.64
		2013-14	3.95
39.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14	1.97
40.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13	5.38
		2013-14	6.41
41.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11	0.54
		2011-12	0.62
		2012-13	0.68
		2013-14	0.44
42.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11	1.18
		2011-12	1.44
		2012-13	1.71
		2013-14	1.55
43.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुड़गांव	2012-13	1.20
		2013-14	1.00
44.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11	3.87
		2011-12	4.29
		2012-13	4.51
		2013-14	4.43
45.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2013-14	2.03
46.	डी.ए.वी. सेंटनेरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11	3.07
		2011-12	2.77
		2012-13	2.79
		2013-14	2.66
47.	के.एल. मेहता डी.एन. महाविद्यालय, (महिला) फरीदाबाद	2013-14	3.72
48.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2013-14	3.34
49.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11	0.86
		2011-12	1.04
		2012-13	0.52
		2013-14	0.72
50.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10	2.55
		2010-11	4.17
		2011-12	4.33
		2012-13	4.27
		2013-14	4.13

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
51.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.28 0.38 0.40 0.68 0.81 0.38 0.69 1.18
52.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.86 1.33 1.12 1.14 0.98
53.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2013-14	0.52 0.69 0.94
54.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	3.17 4.24 4.07 4.49
55.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13 2013-14	3.18 3.18
56.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.83 1.04 1.34 1.49 1.62
57.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2013-14	2.17 2.35
58.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	4.00
59.	एम.एल.आर.एस. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	0.90
60.	महिला महाविद्यालय, जोड़ु कलां भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.30 0.51 0.36 0.78
61.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	0.67 0.78 1.56 1.73 1.84 1.59
62.	सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला, यमुनानगर	2013-14	0.04
63.	छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक	2013-14	1.46

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 53)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2014 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	2009-10	2012-13 व 2013-14	दो वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2013-14	2011-12	2011-12	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2009-10 से 2013-14	2013-14	2012-13	2012-13	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2010-11 से 2014-15	2013-14	2013-14	2011-12	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2014 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	-सम-	2013-14	-	-	-	-
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2013-14	18 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2013-14	-	-	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2013-14	तीन वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2013-14	-	-	-	-
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2013-14	-	-	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2013-14	-	-	-	-
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13 से 2013-14	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2014 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2012-13	-	-	-
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2013-14	2010-11	-	-	-
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2013-14	पांच वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2011-12	-	2013-14	एक वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14	2013-14	2011-12	2011-12	-	-

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ¹	1988-89	-	1988-89 के लिए लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1986-87 के बाद सहायकारिता विभाग/समिति को स्कीम हस्तांतरित कर दी गई
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
4.	स्वाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2013-14	6,332.83	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2009-10	678.74	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				7,030.36	

¹ ये स्कीमें 1986-87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2015 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	-	3 (3.22)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	1 (0.50)	2 (0.92)	5 (2.59)	1 (0.26)	3 (1.65)	5 (1.53)	17 (7.45)
3	लोक सम्पर्क	1 (4.23)	1 (4.23)	-	-	-	-	2 (8.46)
4	वन विभाग	-	-	1 (0.92)	6 (10.48)	2 (0.71)	6 (1.11)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	1 (0.00)	2 (2.04)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	6 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	-	6 (30.67)	-	-	1 (0.02)	7 (30.69)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	1 (3.79)	-	-	-	-	2 (17.78)
9	खेल एवं युवा कल्याण	-	-	1 (0.87)	-	-	-	1 (0.87)
10	महिला एवं बाल कल्याण	1 (3.12)	-	-	-	-	-	1 (3.12)
11	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
12	भवन एवं सड़कें	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
13	जन-स्वास्थ्य	4 (2.36)	7 (17.03)	-	-	-	-	11 (19.39)
14	सिंचाई	2 (0.00)	14 (7.00)	6 (1.25)	5 (0.48)	7 (0.25)	15 (2.07)	49 (11.05)
	कुल	11 (24.20)	28 (39.47)	22 (47.62)	14 (15.89)	17 (17.75)	28 (5.33)	120 (150.26)

अर्थात् ₹ 1.50 करोड़

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	12	5.79	5	1.66	17	7.45
लोक सम्पर्क	2	8.46	-	-	2	8.46
वन विभाग	3	4.70	12	8.52	15	13.22
चिकित्सा	1	0.01	5	15.45	6	15.46
तकनीकी शिक्षा	6	19.31	1	11.38	7	30.69
राजस्व विभाग	--	--	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	--	--	2	3.77	2	3.77
खेल एवं युवा कल्याण	1	0.87	--	--	1	0.87
पुलिस	--	--	2	17.78	2	17.78
समाज कल्याण	1	3.12	--	--	1	3.12
भवन एवं सड़कें	2	0.00	--	--	2	0.00
जन-स्वास्थ्य	8	10.36	3	9.03	11	19.39
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
कुल	75	72.53	45	77.73	120	150.26

अर्थात् ₹ 1.50 करोड़